

2/2552

भारतीय मानक ब्यूरो
(जयपुर शाखा कार्यालय)

हमारा संदर्भ: जेपीबीओ/लीगल/प्रकरण सं. 327/17 / 94

15.05.2017

विधि विभाग से लेख है कि भारतीय मानक ब्यूरो बनाम मै0 शिवा इण्डस्ट्रीज, प्लॉट नं. 158, झोटवाडा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर, राजस्थान के विरुद्ध कोर्ट केस का फैसला दिनांक 26.04.2017 को सुनाया गया। अतः अभियुक्तगण को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम की धारा 11/33 अधिनियम के तहत रु. 15000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। कोर्ट का विवरण निम्न प्रकार से है:

मै0 शिवा इण्डस्ट्रीज, प्लॉट नं. 158, झोटवाडा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर,
प्रकरण सं. 327/17 अंतर्गत धारा 11 संपठित धारा 33
भा.मा.ब्यूरो अधिनियम 1986
निर्णय दिनांक 26.04.2017

फैसले की छायाप्रति रिकार्ड हेतु प्रेषित है। अतः इस केस को समाप्त माना जाए।



(एस.के.कन्नौजिया)
वैज्ञानिक-ई एवं प्रवर्तन अधिकारी

संलग्न : उपरोक्तानुसार

वैज्ञानिक-एफ एवं प्रमुख जशाका
प्रमुख उपभोक्ता मामले विभाग
मुख्यालय, नई दिल्ली

प्रतिलिपि: 1. उपमहानिदेशक (मध्य)
मुख्यालय, नई दिल्ली

1- प्रमुख (आईटीएस), मुख्यालय, नई दिल्ली – For hosting on BIS website as per mail dated 260516 of CAD

Head/CAD - कृपया इसे दिये गए फॉर्मेट से प्रदान करें जिससे कि, वेबसाइट पर डाला जा सके।

-pl. provide details in a format in which it can be uploaded on BIS website.

सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं विभाग
आइटमिंग डायरी सं. 128
दिनांक 23/05/17

CAD
Incoming By No. 473
Dated 23/5/17

RBP

कृपया प्रमुख
मुख्यालय
24/05/17

updated
23/05/17

Nam
for n/a
Bam
23/05/17

सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं विभाग
आइटमिंग डायरी सं. 128
दिनांक 23/05/17

न्यायालय-मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर।

राज्य बनाम मैसर्स शिवा इण्डस्ट्रीज जरिये पार्टनर आकाश बैद
वगै०

परिवाद संख्या - 327/17

अंतर्गत धारा 11 सपठित धारा 33 भारतीय मानक ब्यूरो
अधिनियम 1986

आदेशिका

दिनांक- 26.04.2017

परिवादी अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्तगण मैसर्स शिवा
इण्डस्ट्रीज जरिये पार्टनर आकाश बैद/श्रीमती संगीता बैद,
आकाश बैद एवं श्रीमती संगीता बैद मय अधिवक्ता श्री प्रकाश
शर्मा उपस्थित।

अभियुक्तगण को अपराध अंतर्गत धारा 11 सपठित धारा
33 भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 का आरोप मौखिक रूप
से सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने आरोप स्वीकार
कर क्षमा चाही तथा पृथक से लोक अदालत की भावना से
स्वेच्छया जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर
साक्ष्य परिवादी बंद की गई।

अतः उपरोक्त अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर उक्त
अभियुक्तगण मैसर्स शिवा इण्डस्ट्रीज जरिये पार्टनर आकाश
बैद/श्रीमती संगीता बैद, आकाश बैद एवं श्रीमती संगीता बैद को
आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 11 सपठित धारा 33 भारतीय
मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 में दोषी करार दिया जाता है।
अभियुक्तगण के नियमित उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत
मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

सजा के बिन्दु पर सुना गया। अभियुक्तगण के अधिवक्ता
द्वारा यह प्रकट किया गया कि अभियुक्तगण का यह प्रथम
अपराध है। आयन्दा अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। अतः
नरमी का रुख अपनाया जावे। जबकि विद्वान अभियोजन
अधिकारी ने उक्त तर्कों का विरोध किया।

उभय पक्षों के तर्कों को सुना गया एवं पत्रावली का
अवलोकन किया गया। अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों को
देखते हुए अभियुक्तगण को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया
जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अभियुक्तगण 01. मैसर्स शिवा इण्डस्ट्रीज जरिये
आकाश बैद/श्रीमती संगीता बैद 02. आकाश बैद
03. श्रीमती संगीता बैद को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 11
सपठित धारा 33 भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 में
दोषी करार दिया जाकर प्रत्येक अभियुक्त पर 5000/-रुपये कुल



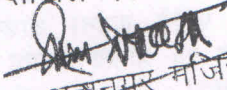
मुख्य प्रतिलिपिक
(प्रतिलिपि शाखा)
जीजेएम/एसजीएम कोर्ट
एवं सेशन न्यायालय
जयपुर महानगर

जयपुर महानगर

15000/-रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अदम
अदायगी अर्थदण्ड प्रत्येक अभियुक्त एक-एक माह का साधारण
कारावास भुगतेंगा।

आदेशानुसार अभियुक्तगण की ओर से कुल 15000/-
रूपये अर्थदण्ड के जमा कराए गए जो रसीद संख्या.. 0000062
दिनांक 26.04.17 जमा हुए। 090534

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।


मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट
मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट,
जयपुर महानगर, जयपुर।



पति-हरनाक्षरित